उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या – 18/2011

बलराम बेदिया बनाम् मो0 मुंदरी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
07-01-2017	अपीलार्थी बलराम बेदिया, पिता स्व0 दिलू बेदिया, ग्राम– छोटकीपोना, थाना– रजरप्पा, जिला रामगढ़ द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा भू–वापसी वाद सं0– 05/2010–11 बलराम बेदिया बनाम मो0 मुंदरी में दिनांक 29.06.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया गया है। उक्त वाद में मो0 मुंदरी, पति– स्व0 मकुन्द महतो, ग्राम– छोटकीपोना, थाना– रजरप्पा, जिला रामगढ़ को विपक्षी बनाया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। आदिवासी खाते की भूमि गैर आदिवासी को हस्तानान्तरण नियमानुसार नहीं हो सकता है। विपक्षी को उक्त भूमि विधिवत हस्तानान्तरण नहीं हुआ है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46 (4)(ए) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत यह मामला कालबाधित है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 07/1/17 उपायुक्त, रामगढ़। 07/1/17 उपायुक्त, रामगढ़	26/01/ 10/01/7